राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–3) 829, 830 व 831/2018.....जिला – चित्तौड़गढ़.....

उनवान : मैसर्स मौहम्मद रशीद शेख, सावा, चित्तौड़ बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

05/09/2018

अपीलार्थी द्वारा ये तीन अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 22, 23 व 25/VAT/178–18/स्थगन/चित्तौड़ में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 20.04.2018 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्रों को आंशिक रूप से स्वीकार किया है, अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इन स्थगन प्रार्थना–पत्रों के जरिये प्रकरणों में बकाया मांग की वसूली हेतु निवेदन किया गया है। संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

अपील संख्या	अवधि	आरोपित			चाहा गया स्थगन
		कर	ब्याज	शास्ति	
1	2	3	4	5	6
829/18	2013–14	8,97,681	4,57,817	17,95,362	**30,60,860**
830/18	2014–15	8,96,062	3,49,464	17,92,124	**29,47,650**
831/18	2016–17	3,06,185	45,928	6,12,370	**9,33,483**

अपीलार्थी व्यवहारी के स्थगन प्रार्थना–पत्रों पर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री वी. सी. सोगानी तथा राजस्व के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. खदाव की बहस सुनी गयी।

उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों तथा अपील व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त पाया कि प्रकरण में प्रिंसिपल लीज होल्डर व सब–लीज होल्डर द्वारा कर अदा किये जाने का प्रश्न है, जिसमें सब–लीज होल्डर द्वारा सम्पूर्ण कर अदा किया जाना निर्विवादित है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उसी काम के लिये प्रिंसिपल लीज होल्डर (अपीलार्थी व्यवहारी) पर भी करदेयता की मांग सृजित की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है, अतः **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्रों को स्वीकार करते

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–3) 829, 830 व 831/2018.....जिला – चित्तौड़गढ़.....

उनवान : मैसर्स मौहम्मद रशीद शेख, सावा, चित्तौड़ बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/09/2018	हुए शेष वसूली योग्य मांग राशि, जो कि उपरोक्त तालिका के <u>कॉलम संख्या–6</u> में अंकित है, की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार सभी अपीलों का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	